संख्या-19/2022/2066574/12-5002(099)/5/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 26 मार्च, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83, लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0101-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.60/रा.40-के.$रा0) योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष हो रही बचत से धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/पी0के0वी0वाई0/351/2021-22, दिनांक 11-03-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0101-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.60/रा.40-के.$रा0) योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष हो रही बचत से रू.181.146 लाख (रूपया एक करोड़ इक्यासी लाख चौदह हजार छः सौ मात्र) अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0104-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना में रू.181.146 लाख (रूपया एक करोड़ इक्यासी लाख चौदह हजार छः सौ मात्र) का संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित अवमुक्त केन्द्रांश राज्य के समेकित निधि में जमा है।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

8- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

9- स्वीकृत धनराशि का अपने स्तर से कोषागार से एकमुश्त आहरण कर एस0एन0ए0 के खाते के माध्यम से धनराशि का अन्तरण जनपद स्तर पर इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी को किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आर.ई. संख्या-554, दिनाँक 21-03-2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-154 देखें)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे दिये अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाए)

अनुदान संख्या-83 कृषि तथा अन्य ग्रामीण विकास (कृषि)

प्रपत्र सी/प्रपत्र-9

वित्तीय वर्ष 2021-22

धनराशि रुपये में

	निम्नलिखित निधियों में प्रावधानित संकलन			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
सेक्टर्नल (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (3-5)
1	2	3	4	5	6
2402–मृदा एवं जल संरक्षण –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0104–मैशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना					
2402 789 01 0101					
04–यात्रा व्यय	0.600	0.305	0.305	0.305	0.195
08–कार्यालय व्यय	0.600	0.600	0.600	0.600	0.000
11–सेवन सामग्री	0.600	0.600	0.600	0.600	0.000
15–गाड़ी अनुरक्षण	0.600	0.600	0.600	0.600	0.000
27–मजदूरी	208.800	116.167	116.167	116.167	92.633
42–अन्य व्यय	88.026	48.250	48.250	48.250	39.776
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	18.480	14.624	14.624	14.624	3.856
46–कम्प्यूटर क्रय	0.300	0	0	0.000	0.300
58–आउटसोर्सिंग सेवायें हेतु भुगतान	0.600	0	0	0.000	0.600
कुल व्यय	318.606	181.146	181.146	181.146	137.460

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकलन			वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा		
सेक्टर्नल (15 डिजिट कोड में)					
7	8	9	10	11	12
2402–मृदा एवं जल संरक्षण –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0104–मैशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संकलन हेतु प्रस्तावित धनराशि (8-9)	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
2402 789 01 0104					
04–यात्रा व्यय	0	0.305	0.305	0.305	0.305
08–कार्यालय व्यय	0	0.600	0.600	0.600	0.600
11–सेवन सामग्री	0	0.600	0.600	0.600	0.600
15–गाड़ी अनुरक्षण	0	0.600	0.600	0.600	0.600
27–मजदूरी	0	116.167	116.167	116.167	116.167
42–अन्य व्यय	0	48.250	48.250	48.250	48.250
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	14.624	14.624	14.624	14.624
46–कम्प्यूटर क्रय	0	0	0	0.000	0.000
58–आउटसोर्सिंग सेवायें हेतु भुगतान	0	0	0	0.000	0.000
कुल योग–	0	181.146	181.146	181.146	181.146

1. स्तम्भ-3 में दर्शाये गये अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि निम्नलिखित कारणों से बचत हो रही है:-

2. स्तम्भ-8 में दर्शाये गये उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-158 व 161 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आठवें/ 554 दिनांक- 21-03-2022

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
वास्तविक विभाग

वित्त विभाग

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

(पूजा उपाध्याय)
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /12-5002(099)/6/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Rasil

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।